न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 461/2016/डिक्री

शंकरलाल पिता किशनलाल कुमावत
निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. लोकेश पिता शंकरलाल कुमावत
2. शिवलाल पिता बालु कुमावत
3. नन्दु पत्नि घीसु कुमावत
4. राजेश पिता कैलाश कुमावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता चम्पा पत्नि कैलाश कुमावत
5. चम्पा पत्नि कैलाश कुमावत
6. फत्तु बाई पत्नि रतनलाल कुमावत
7. कमला पत्नि रतनलाल कुमावत
8. गीता पत्नि शोभालाल कुमावत
9. पुष्कर पिता डालु कुमावत
   सभी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़
11. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौड़गढ़
12. ग्राम सेवा सहकारी समिति घटियावली

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 13.05.2016 प्रकरण सं. 140/2015

उपस्थित – 1. श्री नागेन्द्र सिंह झाला – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री चन्दा सुथार – रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादी बनकर एक वादपत्र रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद निम्न आराजीयात के सम्बन्ध मे पेश किया था जिसके आराजी नम्बर निम्नानुसार अपील मे दर्शाये गये है। खाता संख्या 804 आ.न. 457 रकबा 0.27 है0, आ.न. 459 रकबा 0.59 है0, आ.न. 696 रकबा 0.48 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 है0, खाता संख्या 806 आ.न. 456 रकबा 0.31 है0, आ.न. 691 रकबा 0.12 है0, आ.न. 694 रकबा 0.10

है0, आ.न. 702 रकबा 0.04 है0, आ.न. 703 रकबा 0.03 है0कुल किता 5 रकबा 0.60 है0, खाता संख्या 805 आ.न. 454 रकबा 0.61 है0, आ.न. 458 रकबा 0.12 है0, आ.न. 460 रकबा 0.46 है0, आ.न. 688 रकबा 0.49 है0, आ.न. 690 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 रकबा 1.87 है0, उपरोक्त तीनो खातो मे अपीलान्ट के पिता किशनलाल अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवादी संख्या 2 जिनका दौराने वाद स्वर्गवास हो चुका है उनका उक्त वर्णित सभी खातो मे 1/4 वां हक व हिस्सा निहित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के पिता किशनलाल के खाते मे उनके पिता बालु पिता मेघा की मृत्यु के बाद विरासत से दर्ज रिकार्ड हुई है व पुश्तैनी आराजीयात मे अपीलान्ट का हक हिस्सा निहित होने से खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगालत 9 को सहखातेदार होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत से किसी प्रकार को कोई अनुतोष अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपने वाद पत्र मे नही चाहा गया। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट लोकेश के विरूद्ध अस्थाई स्थगन दिनांक 29/06/2015 तक का प्राप्त किया जिसके बाद न्याय आपके द्वार शिविर मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को जवाब का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के वादपत्र को खारीज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पत्र मे वर्णित रजिस्टर्ड वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर होने एवं वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर होने एवं वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने के आधार पर वादपत्र को खारीज किया गया जबकि रजिस्टर्ड वसीयत दौराने वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष मे निष्पादित कराई गई। वादपत्र की जानकारीी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं उसकी माता मंजुबाई को थी। पुश्तैनी आराजीयात की वसीयत की वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से सही होने का प्रमाणीकरण कराये बगैर वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम पर इन्तकाल खुलवाने हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ़ के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया एवं स्थगन होने से न्याय आपके द्वार शिविर मे दिनांक 13/05/016 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने की विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चित्तौडगढ को भी पक्षकार कायम किया गया था फिर भी तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बगैर बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक

29/02/2016 को वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का निर्णय किया परन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण संख्या 76/2016 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध स्थगन होने से इन्तकाल स्वीकृत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट को बगैर सूचित किये कैम्प घटियावली मे पारित किया गया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे बिना विलम्ब नकल प्रार्थना पत्र पेश कर, नकल निर्णय दिनाकं 02/11/2016 को प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13/05/2016 को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 2303 निर्णय दिनांक 05/09/2016 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि दौराने वाद किशनलाल ने पोते लोकेश के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी जबकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नही थी। वसीयत करने के ठीक 6 दिन बाद श्री किशनलाल का देवहावसान हो गया। अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश 7 नियम 11 तथा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाये बिना वाद वादी खारीज कर दिया गया। अपील मे लोकेश को पार्टी बना दिया गया है। अब विवाद केवल श्री लोकेश एवं श्री शंकर के मध्य है शेष रेस्पोडेन्ट सहखातेदार है। यह भूमि पुश्तैनी है तथा श्री किशनलाल के ओर भी वारिसान है। वसीयत के समय श्री लोकेश नाबालिग था, परन्तु अब बालिग है। यदि श्री किशनलाल की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती तो सारी सम्पत्ति अपीलान्ट के नाम आती। इस प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा दिनांक 17/08/2016 को इन्तकाल भी दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे विधिक भूल की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय श्री लोकेश पक्षकार ही नही है। ऐसी सूरत मे अपील मे उन्हे पक्षकार नही बनाया जा सकता है। जिसके कारण अपील मेन्टेनेबल नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे कोई भूल नही की गई है। रजिस्टर्ड वसीयत खारीज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे रिकार्ड **silent** है। प्रकरण मयाद बाहर है।

इस प्रकरण मे इन्तकाल खुल चुका है जिसकी अपील नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे श्री लोकेश पार्टी नही है तथा अपील मे धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना उन्हे रेस्पोडेन्ट नं. 1 बनाया गया है जो विधिसम्मत नही है। फलतः अपील अपीलान्ट डिफेक्ट मे खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़